



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2162 वर्ष 2026

अनुज पाल

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सचिव गृह विभाग लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: अजय कुमार त्रिपाठी, विजय कुमार
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -13

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीष कुमार

1. श्री आलोक कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए हैं और उन्होंने अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे पत्रावली पर ले लिया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार मिश्रा की दलीलें सुनी गईं।

3. इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक जो पुलिस थाना शाहबाद, जिला- हरदोई में बी.एन.एस की धारा 103(1) और 238 के तहत दर्ज वाद अपराध संख्या 680/2025 में आरोपी है विचारण के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग कर रहा है।

4. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 13.11.2025 को अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 23.10.2025 को, शिकायतकर्ता/सूचनादाता का भाई घर से निकला था, और जब उससे संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो पाया कि उसका मोबाइल बंद था। जब वह काफी समय तक घर नहीं लौटा, तो उसने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछकर अपने भाई को खोजने का प्रयास किया। दिनांक 02.11.2025 को, पुलिस ने एक शव बरामद किया, और पहचान के बाद, यह पाया गया कि वह शव उसके भाई का ही था।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि प्राथमिकी में आवेदक का नाम नहीं है। सूचनादाता अथवा मृतक के परिवार के सदस्यों ने दिनांक 23.10.2025 से

लेकर 02.11.2025 (जिस दिन पुलिस टीम द्वारा शव बरामद किया गया था) के बीच कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी।

6. आगे यह भी निवेदन किया गया है कि दिनांक 04.11.2025 को शव का शव-परीक्षण किया गया था, और डॉक्टर ने उसमें यह टिप्पणी की है कि शव के आंशिक रूप से कंकाल में बदल जाने के कारण मृत्यु का कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका; साथ ही, यह भी टिप्पणी की गई कि शव परीक्षण में शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। इसके पश्चात्, दिनांक 13.11.2025 को सूचनादाता द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें दर्ज कराने में हुई देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। आवेदक और अन्य सह-आरोपियों को इस मामले में पुलिस के सामने दिए गए उनके स्वीकारोक्ति कथन के आधार पर आरोपी बनाया गया है, जो कि साक्ष्य के तौर पर स्वीकार्य नहीं है। जाँच अभी भी जारी है।

7. आगे यह भी बताया गया है कि एक सह-आरोपी, जिसका नाम अनीश पाल सिंह है, ने इस न्यायालय में आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत याचिका धारा 482 बीएनएसएस संख्या 502/2026 के तहत संपर्क किया था, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2026 के आदेश के माध्यम से अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। बहस के दौरान आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय को प्रदान की गई है, जिसे पत्रावली पर ले लिया गया है।

8. आगे यह भी बताया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

9. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार मिश्रा ने प्राप्त निर्देशों के आधार पर यह तर्क दिया है कि, उनके स्वीकारोक्ति कथन के अनुसार, आवेदक और अन्य सह-आरोपियों के विरुद्ध अपराध बनता है।

10. आगे यह भी बताया गया है कि जाँच अभी भी जारी है और जाँच के दौरान आवेदक के विरुद्ध कुछ नए साक्ष्य भी मिल सकते हैं।

11. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह पाया गया है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है; शिकायतकर्ता या मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा 23.10.2025 से 02.11.2025 के बीच मृतक के लापता होने के संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी; यहाँ तक कि 02.11.2025 को पुलिस द्वारा बरामद किए गए शव की कथित पहचान शिकायतकर्ता द्वारा किए जाने के बाद भी, प्राथमिकी 13.11.2025 को दर्ज की गई है; कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है; और एक सह-आरोपी को इस न्यायालय द्वारा पहले ही अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक और सह-आरोपियों को वर्तमान मामले में उनके स्वीकारोक्ति कथन के आधार पर आरोपी

बनाया गया है; प्रथम दृष्टया, यह पाया जाता है कि यह एक ऐसा उपयुक्त मामला है जिसमें आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

12. तदनुसार, यह जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

13. आवेदक **अनुज पाल** को उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करे।
- (vi) आवेदक सुनवाई अदालत के सामने हर तय तिथि पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा और फरार नहीं होगा।
- (vii) आवेदक साक्ष्यों के लिए तय तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, सुनवाई स्थगित करने की मांग नहीं करेगा।
- (viii) आवेदक धारा 313 आ.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज कराने के लिए तय तिथियों पर, स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

14. यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

15. चूंकि यह आदेश आवेदक को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी।

(न्यायाधीश श्री मनीष कुमार)

26 मार्च, 2026

आशीष